अनुदान संख्या 68 - नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1346,22,00	1456,48,00	1162,71,53	-293,76,47
पूरक	Supplementary	110,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				224,92,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		92,00,00	81,00,00	-11,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,80,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹29376.47 लाख) दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹11026.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹29376.47 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹11026.00 lakhs obtained in December, 2012 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	3129.00	2997.00	2761.62	-235.38
पु.	R.	-132.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	13850.00			
पु.	R.	-13849.94	0.06	..	-0.06
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	115443.00			
पू.	S.	11026.00	118058.94	111409.91	-6649.03
पु.	R.	-8410.06			

(I) ₹14050.00 लाख का प्रावधान चार मामलों में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रिड अंत:क्रिया और वितरित नवीकरणीय विद्युत" -

(i) "ग्रिड अंत:क्रिया नवीकरणीय विद्युत" - ₹5000.00 लाख;

(ii) "ग्रिड से पृथक/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" - ₹6000.00 लाख; और

(ख) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा"- ₹2850.00 लाख।

(I) Provision of ₹14050.00 lakhs remained wholly unutilized in four cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "New and Renewable Energy - Grid Interactive and Distributed Renewable Power"-

(i) "Grid Interactive Renewable Power"- ₹5000.00 lakhs;

(ii) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power"- ₹6000.00 lakhs; and

(b) "New and Renewable Energy - Renewable Energy for Rural Applications - Renewable Energy for all Villages"- ₹2850.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2810" - "सहायक कार्यक्रम (घरेलू सहायता) - राज्यों को सहायता" - ₹200.00 लाख स्कीम का प्रचालन न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2810" – "Supporting Programmes (Domestic Support) - Support to States"- ₹200.00 lakhs- due to non-operationalisation of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" के अंतर्गत ₹345.44 लाख की बचत (₹3049.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat – Ministry of New and Renewable Energy"- saving of ₹345.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3049.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2810" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2810" – savings occurred under the following heads:-

(का) "ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹1725.00 लाख की बचत (₹10200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बेहतर चूल्हे संबंधी नए कार्यक्रम को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Renewable Energy for Rural Applications - Renewable Energy for all Villages"- saving of ₹1725.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10200.00 lakhs) was due to non-receipt of Cabinet approval for new programme on improved cook stove.

(खा) "शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - एसटी, एसपीवी और अन्य आरई प्रणालियां" - ₹683.00 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने, व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और राज्यों/अभिकरणों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Renewable Energy for Urban, Industrial and Commercial Applications - ST, SPV and Other RE Systems"– saving of ₹683.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-submission of utilization certificates, non-receipt of viable proposals and non-completion of sanctioned projects by States/Agencies.

(गा) "नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास" -

(C) "Research, Design and Development in Renewable Energy"-

(क) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास" - ₹7708.16 लाख की बचत

(a) "R&D in New and Renewable Energy Technologies"- saving of ₹7708.16 lakhs

(₹13455.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-प्रत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान संस्थाएं/केंद्र (एमएनआरई संस्थाओं: एसईसी, सी-डब्ल्यूईटी, एनआईआरई सहित)" - ₹324.21 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सौर ऊर्जा केंद्र में उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) "सहायक कार्यक्रम (घरेलू सहायता)"-

(क) "सूचना, प्रचार और विस्तार" - ₹126.77 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन की दरों में रियायत दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय संबंध" - ₹364.37 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं" - ₹1900.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक और जीशेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसाम्मेनरबिट द्वारा निधीयन वाली नई परियोजनाओं को शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(घ) "मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण" - ₹404.46 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं योजना अवधि के दौरान मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से नई अध्येता वृत्तियां प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹13455.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(b) "Research Institutions/Centres (Including MNRE Institutions: SEC, C-WET, NIRE)"- saving of ₹324.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs) was due to delay in the tendering process for procurement of equipments at Solar Energy Centre.

(D) "Supporting Programmes (Domestic Support)"-

(a) "Information, Publicity and Extension"- saving of ₹126.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to concession in rates for advertisement by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(b) "International Relations"- saving of ₹364.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non-receipt of suitable proposals/projects.

(c) "Externally Aided Projects"- saving of ₹1900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in starting of new projects funded by the World Bank and Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.

(d) "Human Resource Development and Training"- saving of ₹404.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-awarding of new fellowships owing to delay in appraisal process for continuation of HRD programme during XIIth plan period.

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹1172.39 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के गरीबी की स्थिति में होने की वजह उनके द्वारा रुचि न दर्शाए जाने के कारण हुई।

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Renewable Energy for all Villages"- saving of ₹1172.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs) was due to disinterest shown by scheduled caste beneficiaries owing to their poor condition.

(चा) "अन्य व्यय - जमा देयताएं" - ₹1664.73 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरणों द्वारा उपयोग प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(F) "Other Expenditure-Spillover Liabilities"- saving of ₹1664.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-submission of utilization certificates by State nodal agencies.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹93.13 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 93 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹93.13 lakhs occurred constituting 93 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2810" - "ग्रिड अंत:क्रिया और वितरित नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2810" - "Grid Interactive and Distributed Renewable Power"- under the following heads:-

(I) "ग्रिड अंत:क्रिया नवीकरणीय विद्युत" - ₹514.55 लाख का अधिक व्यय (₹32500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Grid Interactive Renewable Power"- excess of ₹514.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "ग्रिड से पृथक/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" - ₹901.81 लाख का अधिक व्यय (₹11026.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹51114.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और विभिन्न राज्यों/सेक्टरों में सौर फोटोवोल्टीय पम्पिंग प्रणालियां, सौर फोटोवोल्टीय लाइटें और सौर फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) "Off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable Power" –excess of ₹901.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹51114.00 lakhs including supplementary grant of ₹11026.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for installation of solar photovoltaic pumping systems, solar photovoltaic lights and solar photovoltaic power plants in various States/sectors.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4810" नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4810" Capital Outlay on New and Renewable Energy				
मू.	O.	9200.00	8120.00	8100.00	-20.00
पु.	R.	-1080.00			

(I) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग - अनुसंधान संस्थान/केंद्र" के अंतर्गत ₹1100.00 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए उपस्कर के लिए आदेश दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "New and Renewable Energy Programmes and Applications – Research Institutions/Centres" – saving of ₹1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to delay in placing of order for new equipment.